

है। पटवारी हल्का राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर हो।

गैरसायल को अन्तर्गत धारा 91(3) राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 17.05.2017 को पेश हो।

सीलदार, रिवां बड़ी (नागौर - राजस्वाब)

30/ 4/5/2017

17.5.2017 पत्रावली पेश की गैर सायल लक्ष्मणराज उर्फ सुभाष शंभर सुभाष पत्रावली शंभर दिनांक 14.7.2017 को पेश हो।

म सुभाष

सीलदार, रिवां बड़ी (नागौर - राजस्वाब)

म सुभाष

14.7.2017 पत्रावली पेश की गैर सायल लक्ष्मणराज उर्फ सुभाष पत्रावली का कपलोकन किया सेसेट्ट में विप्लव इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जायदास के मोजा का रेखायुक्त नक्शा 479 संख्या 0.57 रेजिस्टर क्रम क्रमि जो नू-राजस्व पर सम्वत् 2074 में लक्ष्मण शंभर सुभाष नामक कोत जाट निवासी रेखायुक्त नक्शा के तहत खत क लाकर कपल कले के स्वकृत रिपोर्ट प्रेम किशोर जिसपर इस न्यायालय के सजलमान नू-राजस्व के अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सजल प्रकरण की कर गैर सायल के किराए 21241.45 रु की दर से अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया

